क्रमांक तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
1	2	3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद सं0 07/2016–17

सुदामा चौधरी वगै0 –बनाम– खेदिया मोसमात वगै0

–: आदेश :–

25.6.2019 – यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0ई0 वाद संख्या 20/2012–13 (खेदिया मोसमात –बनाम– दरोगा चौधरी) में दिनांक 07.04.2016/20.04.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध में दायर अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है।

इस वाद में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु बार–बार मौका दिया गया, किन्तु उनके द्वारा पक्ष पस्तुत करने में अभिरूचि नहीं लिये जाने के कारण उत्तरवादी को एक पक्षीय सुनवाई हेतु निर्णय लिया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी के मौजा कबुतर खोपी के जमाबंदी नं0 22 दाग नं0 38 रकवा 01–01–04 (एक बीघा एक कट्ठा चार धुर) में से आंशिक रकवा 00–06–04 (छः कट्ठा चार धुर) जमीन जबरन दखल कर लिया गया था। उत्तरवादी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के न्यायालय में उच्छेदी वाद दायर कर उपरोक्त जमीन को खाली कराने हेतु अनुरोध किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा जाँचोपरान्त उक्त जमीन से अपीलार्थी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–20(5) एवं 42 के तहत् उच्छेद करते हुए अंचल अधिकारी, बोरियो को दखल देहानी कार्य सम्पन्न करने हेतु निदेश दिया गया। अंचल अधिकारी, बोरियो द्वारा अपीलार्थी को उच्छेदित भूमि से खाली करा कर अपीलार्थी को दखल दिलाया गया। उत्तरवादी को अपना निजी जमीन प्राप्त हो चुका है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है। जबकि उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु बार–बार मौका दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अब इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। अनुरोध है कि अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाय।

निर्णय– उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के कथन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट होता है कि मौजा कबुतर खोपी दामिन–ई–कोह क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानी मौजा है, जो अहस्तान्तरणीय है। उत्तरवादी के कथनानुसार भूमि प्राप्त हो चुकी है साथ ही अपीलार्थी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसी निर्णय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश उभय पक्षों को दिखावें।

लेखापित एवं संशोधित।

25/06/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

25/06/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with CamScanner